बेमौसम बारिश ने धान की फसलों को किया बर्बाद

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। श्योपुर जिले में आज वे मौसम हुई बारिश ने खेतों में घड़ी धान की फसलों को एवं निकली हुई धान की फसल को बर्बाद कर दिया है । आज रविवार सुबह 7:00 के करीब अचानक तेज बारिश बरसाना प्रारंभ हुई। करीबन 3 घंटे वरसी , इस बारिश ने क्षेत्र के किसानों की धान की खड़ी फसल एवं जिन किसानों ने धान की फसल निकाल ली थी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया जहां खड़ी हुई थी वहां भी मौसम बारिश का काफी असर दिखाई दिया।

किसानों ने धान की फसल पैदा करने के लिए एवं उसमें जीतौड़ मेहनत कर उसे तैयार किया था, और ऐन वक्त पर आकर क्षेत्र के किसानों की खुशी पर अचानक आई आज तेज बारिश में सन्नाटा सा पसार दिया है वे मौसम हुई बारिश ने श्योपुर जिले की किसानो की धान की फसल एवं अन्य फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही है साथ ही उनके मंसूबों पर पानी भी फेर दिया है ।

जहां किसान अपनी फसल को तैयार कर बेचने की तैयारी कर रहा था वही वे मौसम बारिश में उनकी खड़ी एवं राखी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा कर उन्हें शोक में डाल दिया है , इस वे मौसम बारिश ने लोगों की खुशी पर पानी तो फेर ही दिया हैं , साथ ही धान की खड़ी फसलों और आदि फसलों को जिस तरह का नुकसान हुआ है उससे क्षेत्र के किसान मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं ।

यहां यह बता देना उचित होगा की धान की पैदावार करने के प्रारंभ से लेकर आज तक किसानों को जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था उन फसलों को तैयार करने में दवा इत्यादि डाली गई थी, उससे ज्यादा आज उन्हें इस बात का दुख हुआ कि ऐन समय पर आकर अचानक इंद्रदेव के द्वारा बरसाई गई बारिश से उन्हें काफी मायूसी नजर आ रही थी, कई किसान तो अपनी खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद होता देख खून के आंसू रोता दिखाई दिया और कई किसान जब पानी बरस रहा था तो एक दूसरे को धाहदस बांधते हुए और कई किसान इस बारिस को देख रजाई ओढ़ कर सोते नजर आए कुछ किसानों ने तो इसलिए रजाई फोड़कर नींद निकालना प्रारंभ किया कि अब जो होना है वह तो होकर ही रहेगा क्योंकि वारिस थमने का नाम नहीं ले रही थी झिलमिल बारिश से शुरू हुई बारिश ने जैसे-जैसे तीव्र गति पकड़ी वैसे ही किसानों के चेहरे मुरझा से गए , जिले के किसानों की आवाज आने लगी क्या ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाने में अगर उनका सहयोग करें तो उन्हें कई प्रकार की राहत मिल सकेगी , क्योंकि जब खेतों में खडी फसल आडी पड़ चुकी हो तो उनकी पैदावार में भी काफी कमी आ जाएगी और आड़ी धान को ना तो कंबाइन मशीनों से कटवाए जा सकता है और नहीं मजदूरों से कटाया जा सकता है।

जिस फसल को तैयार करने में किसानों को और ज्यादा आर्थिक भार देना पड़ेगा एक और मजदूरों की कमी तो दूसरी ओर मशीनों की कटाई ने किसानों के भी मजबूरी ला खडी की हैं, अब देखना यह की शासन प्रशासन खेतों में पड़ी एवं खडी धान आदि फसलों को राहत राशि इत्यादि से नवासेगा या उनका मूल्यांकन करा कर इन फसलों की छती पूर्ती राहत राशि दिलानें में सहयोग करेगा।

ग्राम खोजीपुरा की 10 हेक्टयर भूमि शासकीय घोषित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा वृत्त मानपुर अंतर्गत ग्राम खोजीपुरा की 10.032 हेक्टयर भूमि पर से अवैध नामों की प्रविष्टि विलोपित कर जिल्द बंदोबस्त अनुसार शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा नायब तहसीलदार मानपुर को आदेश अमल कर अभिलेख अध्ययतन करने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

न्यायालय अपर कलेक्टर श्री उपाध्याय द्वारा पारित आदेश के अनुसार खसरा पंचशाला संवत 2026 से 2030 में ग्राम खोजीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 359 के दो बंटाकन 359/1 रकबा 8.130 हेक्टयर जंगल गैर मुमकिन एवं 359/2 रकबा 1.902 हेक्टयर कदीम दर्ज है।

नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार खोजीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 359/1, 359/2 पर कूटरचित तरीके से अवैध प्रविष्टियां की गई है। उक्त मामले में विचार उपरांत ग्राम खोजीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 359/1 रकवा 1.881 है. पर रामस्वरूप पुत्र पूरणचंद, 359/3 रकवा 1.881 है. पर राधाचरण पुत्र केवल जाटव, 359/4 रकवा 1.986 है. पर बालकृष्ण पुत्र रामस्वरूप, 359/4 रकवा 1.045 है. पर विभला पति कमलेश वैश्य, 359/5 रकवा 1.045 है. पर सरोज पनि महेश वैश्य, 359/6 रकवा 1.881 है. पर अमरीक सिंह पुत्र मुख्यार सिंह, जसवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाट, 359/7 रकवा 0.836 है. पर बलजिंदर पनि शुखदेव सिंह जाट, 359/8 रकवा 0.397 हे. पर बलजिंदर कौर पनि सुखविंदर सिंह जाट, 359/2क रकवा 0.627 है. पर बाबू पुत्र सुखचंद जाटव, 359/2ख रकवा 0.637 है. पर रामकिशोर पुत्र सुखचंद जाटव, 359/2ग रकवा 0.637 है. पर जगनू पुत्र सुखदेव जाटव के नाम की अवैध प्रविष्टि विलोपित कर भूमि सर्वे क्रमांक 359 के जिल्द बंदोबस्त अनुसार रकबा 10.032 है. शासकीय दर्ज किये का आदेश पारित किया गया है।

पराली प्रबंधन : प्रेमसर में जसवीर बेलर से बना रहे गट्ठे

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। पराली फ्री डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलाई जारी मुहिम को युवाओं एवं किसानों का सहयोग मिल रहा है, जिसके उदाहरण अब सामने आ रहे है, जहां प्रेमसर में जसवीर सिंह अपने परिवार की 400 बीघा जमीन में

सामाजिक सरोकार के साथ ही रोजगार के अवसर भी, किसानों से बगैर शुल्क लिये कर रहे है पराली का प्रबंधन

लगे धान की कटाई के बाद बेलर से धान की पराली के बंडल बना रहे है, वही कुछ युवा सरकार की अनुदान योजना का लाभ लेकर सामाजिक सरोकार के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रहे है।

ग्राम प्रेमसर के जसवीर सिंह अपने खेत की 400 बीघा धान की पराली का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से कर रहे है, वे खेत में बेलर चलाकर धान के अवशेष के गट्ठे बना रहे है, जिससे उन्हें अब अपने खेत में आग नही लगानी पडेगी। जसवीर सिंह कहते है कि पराली में आग लगाने से भूमि का तापमान काफी अधिक बढ जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, क्योकि जमीन में मौजूद मित्र जीवाणु आग में जलकर नष्ट हो जाते है, इसलिए हमें हर साल खाद की मात्रा बढानी पड रही है। इस साल हमने जिला प्रशासन की अपील पर निर्णय लिया कि पराली नही जलायेंगे, जब शासन हमें 50 प्रतिशत सबसिडी पर पराली प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्र प्रदान कर रहा है तो फिर हम क्यो अपनी जमीन को अनउपजाऊ बनाने के लिए आग लगायें। वे कहते है कि पराली के बंडल बनाने में जितना डीजल लगेगा, उससे अधिक राशि तो हमें बंडल बेचने पर मिल जायेगी, क्योकि पराली के बंडल 200 रूपये क्विंटल श्योपुर की बायोफ्यूल फैक्ट्री खरीद रही है। उनका कहना है कि पहले हमने सोचा कि 400 बीघा धान की पराली काटना मुश्किल है, लेकिन बेलर से यह सब आसान कर दिया और अब तो पराली से अतिरिक्त इनकम भी होगी।

यह तो बात हुई किसान की, अब बात करते है, ग्रामीण युवाओं की जो पर्यावरण बचाने एवं प्रदुषण को रोकने के महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकार को पूरा करने के लिए आगे आये है। उन्हें इसके अलावा इस कार्य से रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे ही युवा श्री मीणा और उनके एक मित्र है, जो किसानों के यहां अपने बेलर तथा अन्य संसाधानों से धान की पराली का प्रबंधन कर रहे है, बडी बात यह है कि वे किसान से एक भी पैसा इस कार्य का नही ले रहे है। मशीनों से थोडे ही समय में किसान का खेत साफकर देते है। श्री मीणा ने शासन की अनुदान योजना के तहत पराली प्रबंधन में उपयोगी कृषि बेलर इत्यादि खरीदे है। वे बताते है कि हम किसानों की पराली बिल्कुल मुफ्त में काट रहे है और किसान को खेत एक दम साफकरके दे रहे है, इस कार्य से उन्हें रोजगार भी मिल रहा है, क्योकि वे 200 रूपये प्रति क्विंटल पराली के बंडल विक्रय कर रहे है। उन्होने अपना मोबाइल नंबर 6260933380 भी दिया है, जिस पर किसान संपर्क कर सकते है। पवन मीणा ने अपना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे ग्राम कनापुर के किसान उमरदराज एवं गफूर खान के खेत में बेलर चलाकर व्यस्थित तरीके से बंडल बना रहे है।

बांरा के कुख्यात स्मैक सप्लायर लंगड़ा सहित फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार

देहात पुलिस टीम के हाथ लगे दो स्थाई वारंटी, जिले में जोर शोर से चलाया जा रहा है सायबर जागरूकता अभियान

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। पुलिस द्वारा बांरा के कुख्यात स्मैक सप्लायर लंगडा चाचा से स्मैक श्योपुर बडौदा में तस्करी करने वाले फरार तस्कर मनोज शर्मा एवं बडौदा क्षेत्र में ट्यूबेल से केवल चोरी करने वाली गैंग के फरार आरोपी हेमू सहित 03 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।

बांरा के कुख्यात स्मैक सप्लायर लंगडा चाचा से स्मैक श्योपुर बडौदा में तस्करी करने वाले फरार तस्कर मनोज शर्मा गिरफ्तार - थाना बडौदा के अपराध क्रमांक 270/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट इजाफा धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट मे 08/29 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सरीफमोहम्मद उर्फचाचा उर्फलँगडा निवासी वाँरा (राज.) से स्मैक खरीदकर कर श्योपुर जिले में सप्लाई करने वाले तस्कर मनोज शर्मा पुत्र स्वं शंभूदयाल शर्मा उम्र 35 साल निवासी इच्छापुरा थाना कोतवाली श्योपुर हाल निवास रंगवाडी वालाजी के पास, रंगवाडी कोटा (राज.) को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया ।

वही बडौदा क्षेत्र में ट्यूबेल से केवल चोरी करने वाली गैंग के फरार आरोपी हेमू को बडौदा पुलिस ने किया गिरफ्तार - अपराध क्रमांक 245/25 धारा 331(4), 305 (ए) वीएनएस इजाफा धारा 112(2) वीएनएस के एक अन्य फरार आरोपी एवं थाना बडोदा के निगरानी वदमाश हेमू उर्फहेमराज माहोर पुत्र बाबू लाल माहोर उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्रमांक 15 शासकीय अस्पताल के पास बडौदा को गिरफ्तार कर दिनांक 25.10.25 को माननीय न्यायालय श्योपुर के समक्ष पेश किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया ।

थाना देहात पुलिस के हाथ लगे 03 स्थाई वारंटी : जिले में ईनामी फरारी बदमाशों की धरपकड के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना देहात पुलिस द्वारा 03 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। माननीय न्यायालय के प्रक्र 508/20 में स्थाई वारंटी चौथमल गुर्जर पुत्र तेजराम गुर्जर नि गांवडी , न्यायालय के प्रक्र 58/23 में स्थाई वारंटी अमर सिंह पुत्र रमेश मीणा नि कनापुर, माननीय न्यायालय प्रक्र 07/20 में स्थाई वारंटी रामसेवक पुत्र अवधविहारी शर्मा निवासी वार्ड नं 38 बालाजी नगर अटेर रोड भिण्ड को तामील कराया गया है।

वीरपुर व देहात पुलिस ने चलाया सायबर जागरूकता अभियान : पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के पालन में सायबर जागरूकता माह चलाया जा रहा है इसी क्रम में जिला श्योपुर में आज दिनाक 26.10.2025 को थाना प्रभारी वीरपुर निरी भारत सिंह गुर्जर व एवं उनकी टीम द्वारा वीरपुर कस्बे में एवं थाना प्रभारी देहात उनि शशि तोमर व एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम रायपुरा में सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को सायबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया।

इस दौरान पुलिस टीम द्वारा किसी भी प्रकार की सायबर धोखधड़ी हो जाने पर टॉलफ्री नंबर 1930 एवं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग (एनसीआरपी पोर्टल) पर शिकायत दर्ज करने के बारे में आम नागरिकों को जानकारी दी गई।

एक नजर में

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान की बैठक आज

श्योपुर, 26 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा की अध्यक्षता में तम्बाकू मुक्त युवा अभियान से संबंधित साप्ताहिक गतिविधियों को लेकर बैठक 27 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक के पश्चात् आयोजित की जायेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्योपुर, सीईओ जिला पंचायत, जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, 9 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागीय साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में एक युगती घायल, मामला कायम

श्योपुर। थाना वीरपुर सड़क दुर्घटना फरि. मोनू पुत्र श्रीनिवास केवट उम्र 19 साल नि. कुआं वाला पुरा नितिनवास ने रिपोर्ट की कि दि. 25.10.25 के 21.30 बजे स्थान मोहनपुरा के पास नई पांचो आमरोड़ वीरपुर पर आरोपी सोनू गुर्जर नि. मोहनपुरा मोटर साईकिल चालक ने तेजी व लापरवाही से मो.सा चलाकर फरि. की मो.सा. में टक्कर मार दी जिससे फरि. व उसकी पत्नी को चोटे आयी । दि. 25.10.25 के 21.56 बजे अप. क्र. 12/25 धारा 125ए, 281 बीएनएस कायम कर लिया हैं।

खेत की टटिया को खोलने की बात को लेकर मारपीट

थाना विजयपुर मारपीट फरि श्रीमती सीमा पत्नि देवेन्द्र कुशवाह उम्र 24 साल नि. पार्वती बड़ौदा ने रिपोर्ट की कि दि. 25.10.25 के 18.00 बजे स्थान फरि. का छोले वाला खेत पार्वती बड़ौदा पर आरोपीगण मोहर सिंह कुशवाह , रोशन कुशवाह , आरती कुशवाह नि. गण. पार्वती बड़ौदा ने फरि. के खेत की टटिया को खोलने की बात को लेकर मारपीट की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 25.10.25 के 21.43 बजे अप. क्र. 418/25 धारा 115 (2), 296,351 (3), 3(5) बीएनएस कायम कर लिया हैं।

पुरानी रंजिश की बात को लेकर तीन ने एक को पीटा

थाना कराहल मारपीट फरि. राजपाल पुत्र कोमल जाटव उम्र 30 साल नि. जाटव मोहल्ला कराहल ने रिपोर्ट की कि दि. 25.10.25 के 21.00 बजे स्थान आरोपी हीरा जाटव के घर के बाहर पर आरोपीगण हीरा जाटव , बन्टी जाटव , लूमाबाई जाटव नि. गण. जाटव मोहल्ला कराहल ने फरि को पुरानी रंजिश की बात को लेकर मारपीट की गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। दि. 25.10.25 के 23.58 बजे अप. क्र. 182/25 धारा 115(2),296,351(2),3 (5) बीएनएस कायम कर लिया हैं।

नव जनचेतना समिति का नि :शुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित

भिंड। सेवार्थ एक पहल - नव जनचेतना समिति द्वारा 26 अक्टूबर को शा. उमा. उत्कृष्ट विद्यालय क्र.1 परिसर में नि :शुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले इस शिविर में 150 से अधिक रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अमित पाठक ने बताया कि शिविर में 50 से अधिक संधिगत वात रोगियों (एड़ी, घुटना, कमर, कंधा और गर्दन दर्द) का अग्निकर्म और विद्धकर्म से उपचार किया गया।

कृषि विभाग की टीम ने फसलों का जायजा लिया

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा बारिश से धान की फसल में नुकसान होने के संबंध में जायजा लिया गया। इस दौरान उप संचालक मुनेश शाक्य, नायब तहसीलदार सुरेश राठौर, एडीओ अरूण शाक्य आदि उपस्थित रहें। अधिकारियों ने ग्राम माधोराजपुरा, जानपुरा, फतेहपुर, नयागांव, बंधाली, आवदा, सरजूपुरा, सलमान्या आदि ग्रामों में धान की फसलों का जायजा लिया गया।

उप संचालक कृषि श्री शाक्य ने बताया कि आज हुई बारिश से फसलों पर पडे प्रभाव के संबंध में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों की धान की फसल कट चुकी है तथा खेत में रखी हुई है, उसे सुरक्षित स्थान पर भण्डारित करें, अथवा धान के पूलो को पॉलीथिन से ढककर रखा जा सकता है। सभी किसान भाई वर्तमान मौसम स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानियाँ अवश्य अपनाएँ।

मानसिक स्वास्थ्य शिविर आज

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर 27 अक्टूबर को कराहल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा।

यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं परामर्शदाता टीम द्वारा तनाव, अवसाद, नशे की लत, चिंता, नींद की समस्या, सिरदर्द, बच्चों के व्यवहार सम्बन्धी समस्याएँ आदि मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर नि:शुल्क परामर्श दिया जाएगा। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और समय पर उपचार के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए निशुल्क परामर्श, दवा वितरण और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की यह पहल जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, श्योपुर के सहयोग से संचालित की जा रही है। शिविर में डॉ गायत्री मित्तल मनोरोग विशेषज्ञ सहित मनकक्ष स्टाफद्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाय की जायेगी।

स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 01 नवंबर के

शाम 7 बजे से होंगा लोक उत्सव का आयोजन

अवसर पर कवि सम्मेलन तथा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जायेगा।

अपर कलेक्टर श्री उपाध्याय ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर 01 नवंबर को निषादराज भवन में अपरान्ह 2 बजे से जिला स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार शाम 7 बजे सांस्कृतिक संध्या लोक उत्सव का आयोजन होगा। जिसमें बुंदेली लोक कला मंच झांसी के सौजन्य से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जायेगी। उक्त कार्यक्रमों के लिए डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

पराली प्रबंधन समिति ने किया जागरूक

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 26 अक्टूबर। आज ग्राम पाण्डोला में ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर पराली न जलाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा ने बताया कि ग्राम पाण्डोला में ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति द्वारा माईक से मुनादी कराकर लोगों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर पटवारी श्री टकसाली आदि मौजूद रहें।

ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति द्वारा ग्रामीणों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान तथा कृषि यंत्रो के माध्यम से पराली प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

आम सूचना

श्री विजय उर्फ विजयशंकर जांगिद पुत्र श्री प्रहलाद जांगिद एवं श्रीमती द्वारिका बाई पत्नी श्री विजयशंकर जांगिद के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन क्र.38 (पी). स्थित ग्राम छोटाखेड़ा, प.ह. छोटाखेड़ा, तहसील एवं जिला श्योपुर (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.22 (बी) ग्राम छोटाखेड़ा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 101.00/- वर्गमीटर है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में-भवन श्री घनश्याम शर्मा, पश्चिम में-भवन श्री बाबूलाल मीना, उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में-भूखण्ड श्री कृपाशंकर जागिद है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री विजय उर्फ विजयशंकर जागिद पुत्र श्री प्रहलाद जांगिद के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री विजय उर्फ विजयशंकर जागिद द्वारा उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्रीमती द्वारिका बाई पत्नी श्री विजयशंकर जांगिद के पक्ष में ई-रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख क्र. एमपी 26आईजीआर 18592025ए100942221 दिनांक 16.10.2025 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्ष 2025 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री विजय उर्फ विजयशंकर जांगिद एवं श्रीमती द्वारिका बाई द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार इण्डिया शैल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या- भवन क्र.52. कैलाश विहार फैडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)